SUDANA

CATTLE FEED FACTORY, MANGLIA (INDORE)

UNIT OF INDORE SAHAKARI DUGDH SANGH.MYDT
INDORE (M.P)

E-TENDER
FOR
Molasses Transportation

DATED: 29.10.2019

CATTLE FEED FACTORY, MANGLIA, DISTT. INDORE (M.P)
Phones : (0731) 2806221, 2806350
Fax no. 0731 - 2806221
E-mail :- sudana_manglia@rediffmail.com, sudana.manglia@gmail.com

INDORE SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT
UNIT CATTLE FEED FACTORY- MANGLIA
INDORE (M.P.)
Phones: (0731) 2806221, 2806350, Fax: 0731 - 2806221

निविदा प्रपत्र

निविदा कार्य :– पशु आहार संयंत्र मांगलिया के लिए मेसर्स नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, नवलनगर, जिला बुरहानपुर एवं मेसर्स जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेस सोसायटी लि., शक्कर कारखाना यूनिट, सरवरदेवला, तहसील कसरावद, जिला खरगौन से पशु आहार संयंत्र मांगलिया तक 'ए' ग्रेड मोलासेस परिवहन की दो वर्ष (01.12.19से 30.11.21) हेतु ई–निविदा।

ई–निविदा प्रपत्र का मूल्य	:–	1000 रूपये
ऑनलाईन निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एंव समय	:–	दिनांक 28.10.2019 11.00बजे तक
निविदा खोलने की तिथि एंव समय	:–	दिनांक 29.10.2019 दोपहर 12.30 बजे
ANNEXURE-1	:–	निविदा शर्तें
ANNEXURE-II	:–	अनुबंध की शर्तें

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

(2)

पशु आहार संयंत्र, मांगलिया जिला इन्दौर

पशु आहार संयंत्र, मांगलिया जिला इन्दौर में पशु आहार उत्पादन में लगने वाले ए' ग्रेड मोलासेस के मेसर्स नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, नवलनगर, जिला बुरहानपुर एवं मेसर्स जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेस सोसायटी लि., शक्कर कारखाना यूनिट, सरवरदेवला, तहसील कसरावद, जिला खरगौन से पशु आहार संयंत्र मांगलिया तक परिवहन की दो वर्ष (01.12.2019 से 30.11.2021) हेतु ऑनलाईन ई–निविदा के माध्यम से दरें आमंत्रित की जाती हैं ।

कार्य का नाम	अमानत राशि	कार्य की समय सीमा
ए ग्रेड मोलासेस परिवहन (नवलनगर बुरहानपुर एवं सरवरदेवला तहसील कसरावद जिला खरगौन म.प्र से पशु आहार संयंत्र मांगलिया तक)	रु० 50000/- (पचास हजार मात्र)	दो वर्ष

निविदा फॉर्म मध्यप्रदेश शासन की वेबसाइट www.mptenders.gov.in से निविदा फॉर्म का मूल्य रूपये 1000.00 (एक हजार मात्र) का ऑनलाईन भुगतान कर दिनांक 28.10.2019 सुबह 11.00 बजे तक डाउनलोड कर सकते हैं।

ऑनलाईन निविदा प्रपत्र दिनांक 28.10.2019 सुबह 11.00 बजे तक जमा कर सकते हैं।

ANNEXURE-I

: मोलासेस परिवहन निविदा शर्तें :

1- महाप्रबंधक पशु आहार संयंत्र मांगलिया, निर्धारित शर्तो के अनुसार परिवहनकर्ता से परिवहन कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं।

2- मोलासेस परिवहन निविदा की दरें ई-निविदा के माध्यम से ऑनलाईन स्वीकार होंगी।

3- निविदाकर्ता को रु० 50000/- अमानत राशि के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा। बिना अमानत राशि के दरें स्वीकार नही की जाएंगी।

4- परिवहनकर्ता द्वारा जमा अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

5- निविदाकर्ता की दर स्वीकृत होने पर सफल निविदाकर्ता की अमानत राशि को छोड कर शेष निविदाकर्ताओं की अमानत राशि www.mptenders.gov.in द्वारा वापिस की जाएगी।

6- परिवहनकर्ता को परिवहन की सभी शर्तें मान्य होंगी।

7- अगर परिवहनकर्ता के वाहन में किसी कारणवश खराबी आ जाती है तो उसकी सूचना तत्काल कार्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों को देना होगा। परिवहनकर्ता के वाहन में खराबी का कारण, वाहन का स्थान जहॉ वो खड़ा है एवं कितने समय में वाहन पशु आहार संयंत्र तक पहुच जाएगा इसकी जानकारी कार्यालय में देना होगी।

8- परिवहन दर अनुमोदन के पश्चात तुरन्त प्रभावशील मानी जाएगी। महाप्रबंधक आवश्यकतानुसार मोलासेस की मात्रा को घटाने या बढ़ाने हेतु पूर्णतः अधिकृत हैं।

9- परिवहनकर्ता को शक्कर कारखाने से प्राप्त एक्साईज गेट पास एंव अन्य संबंधित कागजात, मोलासेस अनलोडिंग के पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा।

10-यह निविदा दो वर्ष की अवधि के लिये आमंत्रित की जा रही है परन्तु कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से एक-एक करके दो वर्ष के लिये कार्य अवधि और बढ़ाई जा सकेगी।

11-परिवहनकर्ता द्वारा टेंकर में शक्कर कारखाने से जितनी मात्रा एंव गुणवत्ता का मोलासेस प्राप्त किया जाएगा उतनी ही मात्रा एंव गुणवत्ता का मोलासेस पशु आहार संयंत्र मांगलिया में सुपुर्द करना होगा। 'ए' ग्रेड मोलासेस की मात्रा एंव गुणवत्ता में कमी होने पर वसूली परिवहनकर्ता से की जाएगी।

12-परिवहनकर्ता को परिवहन करने के पश्चात परिवहन का बिल भुगतान हेतु कार्यालय में माल प्राप्ति की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा।

13-आयकर व अन्य कर की वसूली एवं सरकार द्वारा उस समय अन्य कोई टैक्स लगाने पर परिवहनकर्ता के देयक से कटौती की जाएगी।

14-यदि परिवहनकर्ता द्वारा 'ए' मोलासेस ग्रेड की आवंटित पूर्ण मात्रा का परिवहन तय समयावधि में नहीं किया जाता है तो संस्था द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने पर लगने वाली अतिरिक्त राशि की वसूली परिवहनकर्ता से की जाएगी तथा अमानत राशि जप्त कर ली जाएगी।

15-परिवहनकर्ता द्वारा दर अनुमोदन के पश्चात टैंकर पशु आहार संयंत्र मांगलिया के निर्देशानुसार नहीं भेजे जाते हैं तो अनुबंध निरस्त कर अमानत राशि जप्त की जाएगी तथा अन्य परिवहनकर्ता से कार्य कराया जाएगा।

16-परिवहनकर्ता को ट्रांजिंट बीमा पशु आहार संयंत्र मांगलिया जिला इन्दौर के पक्ष में करवाना होगा। जिसके प्रीमियम का भुगतान संयंत्र द्वारा किया जाएगा।

17-परिवहनकर्ता द्वारा जिस वाहन से माल परिवहन किया जा रहा उसके अन्दर का हिस्सा अच्छी हालत में होना चाहिये।

18-पशु आहार संयंत्र मांगलिया जिला इन्दौर द्वारा GST का भी भुगतान किया जाएगा।

19-डिटेंशन चार्जेस का भुगतान किसी भी परिस्थिति में परिवहनकर्ता को नही किया जाएगा।

20-अनुबंध की दिनांक पर डीजल की दर में समयानुसार वृद्धि/कमी होने पर औसत 4 किमी/लीटर के अनुसार परिवहन दर में वृद्धि/कमी की जाएगी।

21-निविदा को मान्य या अमान्य करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को है।

22-परिवहनकर्ता के वाहन का आर०टी०ओ० से सम्बंधित पंजीयन, बीमा, फिटनेस परमिट आदि लोडिंग दिनांक तक वैध होना आवश्यक है। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी।

23-परिवहन के दौरान मार्ग में किसी भी प्रकार के नुकसान, कमी आदि के फलस्वरूप हुई क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी माना जावेगा तथा क्षतिपूर्ति की राशि उनके परिवहन देयक से वसूल की जावेगी।

24-अनुबंध पत्र (इकरार नामा) निष्पादित करने के पूर्व निविदाकार द्वारा प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी डिपॉजिट) के मद में रूपये 250000/- (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) का डीडी **INDORE SAHAKARI DUGDH SANGH MYDT, CATTLE FEED FACTORY MANGLIA** के नाम सें जमा करना आवश्यक होगा। निविदा के साथ जमा अमानत राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जा सकेगा।

25-दर अनुमोदन के पश्चात् रु० 1000.00 के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर परिवहन के पूर्व अनुबंध सम्पादित करना होगा। (अनुबंध की शर्ते **ANNEXURE-II** में दी गई हैं)

26-किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद का निराकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्या. इन्दौर के माध्यम से किया जायेगा तथा इनके द्वारा पारित आदेश दोनों पक्षों पर बन्धनकारी रहेगा।

<u>मुख्य कार्यपालन अधिकारी</u>

।। अनुबंध की शर्तें (प्रारूप) ।।

यह अनुबंध **महाप्रबंधक, पशु आहार संयंत्र, मांगलिया (इकाईः इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर)** तथा .... जिसे इसके उपरांत 'मोलासेस परिवहन ठेकेदार' के नाम से सम्बोधित किया जाएगा, के मध्य मेसर्स नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, नवलनगर बुरहानपुर एवं मेसर्स जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेस सोसायटी लि., शक्कर कारखाना यूनिट, सरवरदेवला, तहसील कसरावद, जिला खरगौन से पशु आहार संयंत्र, मागंलिया, इन्दौर तक मोलासेस परिवहन हेतु किया जा रहा है।

1. अनुबंध की अवधि दिनांक 01.12.2019 से 30.11.2021 तक के लिये होगी ।
2. सौजन्यवश प्रत्येक स्थान के लिये प्रतिदिन मोलासेस परिवहन हेतु लगने वाली खाली वाहनों की मांग के विषय मे सूचना ठेकेदार को इस कार्यालय द्वारा दी जा सकती है, परन्तु मूलतः संयंत्र की आवश्यकता अनुसार परिवहन हेतु लगने वाले टैंकरों की मांग प्राप्त करना ठेकेदार का ही कर्तव्य होगा। ठेकेदार द्वारा वाहन उपलब्ध न कराने की दशा में यदि अतिरिक्त वाहन द्वारा कार्य कराया जाता है तो ठेकेदार का यह दावा कि उसे बिना सूचित किये अन्य वाहन द्वारा कार्य कराया गया है, मान्य नही होगा।
3. परिवहन कार्य के लिये मांग प्राप्ति/सूचित करने के दिन अथवा दूसरे दिन संयंत्र को निश्चित रूप से वाहन उपलब्ध कराना होगा यदि उक्त समयावधि मे वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता एवं इसके लिए अन्य विकल्प द्वारा कार्य करवाया जाता है, तो इस संबंध में अधिक भुगतान की गई राशि ठेकेदार के देयक से पुनः प्राप्त (रिकवर) की जाएगी तथा इस सम्बन्ध में सूचना पृथक से ठेकेदार को देने के लिये संयंत्र बाध्य नही होगा।
4. साधारणतः संयंत्र मे टैंकर खाली करने का समय कार्य दिवस मे प्रातः 9.00 से सायंकाल 5.00 बजे तक रहता है, परन्तु सायं 4.00 बजे के बाद आये टैंकरों को खाली करना अथवा न करना प्रबंध के अधिकार में रहेगा।
5. परिवहन ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जाएगा ।
6. परिवहन ठेकेदार को भुगतान हेतु अपना मुद्रित देयक दो प्रतियों में जिसमें क्रमांक, दिनांक, पता आदि स्पष्ट उल्लेखित हो माल प्राप्ति की वैध रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा ।
7. परिवहन ठेकेदार को उनके देयकों का भुगतान पशु आहार संयंत्र मांगलिया द्वारा किया जाएगा ।
8. नियमानुसार आयकर आदि का कटौत्रा, भाडा देयकों से काटा जाएगा।
9. परिवहन करते समय मार्ग में किसी प्रकार की टूट–फूट, नुकसान, मोलासेस लीकेज होना, कमी आदि के लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा तथा इससे संबंधित राशि उसके परिवहन देयक एवं अमानत राशि से वसूल की जाएगी।
10. लोडिंग/अनलोडिंग व्यय परिवहन ठेकेदार को वहन करना होगा।
11. परिवहन ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों का व्यवहार संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ सौहार्द्रपूर्ण होना चाहिये। यदि टैंकर ड्रायवर की असावधानी से संयंत्र की जान–माल, सम्पति आदि की कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
12. परिवहन ठेकेदार के वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध यदि सरकारी कानून अनुसार कार्यवाही की जाती है तो इसकी जवाबदारी भी ठेकेदार की होगी व यदि इससे कोई हानि होगी तो राशि ठेकेदार से वसूल की जाएगी।

13. उपरोक्त शर्तो के अलावा महाप्रबंधक, पशुआहार संयंत्र, मांगलिया द्वारा समय समय पर जो परिवहन संबंधी सूचनायें/आदेश दिये जाएंगे, उनका पालन करने हेतु ठेकेदार बाध्य होगा।

14. परिवहन ठेका दो वर्ष के लिये है, किन्तु ठेके की अवधि मे कमी अथवा वृद्धि करना प्रबंध के अधिकार क्षेत्र में होगा तथा अनुबंध के बाद ठेका समाप्ति तक बीच में स्पेयर पार्ट्स आदि के भावों मे वृद्धि/कमी अथवा शासकीय निर्णय से प्रभावित परिवहन व्यवसाय मे होने वाली भाडा वृद्धि के अनुसार संयंत्र अपनी स्वीकृत दरों मे वृद्धि करने के लिये बाध्य नहीं होगा।

15. स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है तो ही अनुबंध दर में कमी/वृद्धि की जावेगी। दर में कमी/वृद्धि की गणना पशु आहार संयंत्र से गन्तव्य स्थान तक जाने की दूरी के आधार पर कमी/वृद्धि की दिनांक से की जाएगी।

16. उभय पक्षों मे कोई विवाद उत्पन्न होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा तथा समस्त विवादों के लिए न्यायिक क्षेत्र इन्दौर होगा ।

17. अनुबंध की शर्तों मे परिस्थितिवश परिवर्तन या शिथिल करने का अधिकार प्रबंध को होगा ।

इस अनुबंध पर आज दिनांक ....को उभय पक्षो ने आपसी सहमति के आधार पर पशु आहार संयंत्र मागंलिया कार्यालय मे हस्ताक्षर किये हैं, निविदाकार का इकरार नामा दिनांक.................... से .... तक की अवधि में प्रभावशील रहेगा।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
	महाप्रबंधक
परिवहनकर्ता ठेकेदार	पशु आहार संयंत्र, मागंलिया

<u>गवाह</u>

(1) हस्ताक्षर		(2) हस्ताक्षर	
नाम	————————	नाम	————————
पिता	————————	पिता	————————
पता	————————	पता	————————
	————————		————————
	————————		————————